

तारिख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
F.S.S.Act Case No. 22/2025

दिनांक व तारिख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामिलमें  
जारी हुए

07.4.2025

पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही अनुपस्थित। प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह पुत्र चम्पालाल जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स जय श्री जोधपुर स्वीट्स, रेवदर-मण्डार रोड़, पंचायत के सामने, रेवदर, जिला- सिरौही अनुपस्थित।

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29.10.2024 को मैसर्स जय श्री जोधपुर स्वीट्स, रेवदर-मण्डार रोड़, पंचायत के सामने, रेवदर, जिला- सिरौही में प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह पुत्र चम्पालाल जी राजपुरोहित से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मीठा मावा का नमूना संख्या S-2526, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1709/Act/2024/1736 दिनांक 18.11.2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी राजेन्द्र सिंह ने इस न्यायालय में दिनांक 02.4.2025 को उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुनाया गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि वह अन्य लोगों से कच्चा मावा खरीद कर मीठा मावा बनाता है, इसमें उसने कोई मिलावट नहीं की है। यह उसकी प्रथम गलती है। अतः प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही, दिनांक 29.10.2024 को समय 01-00 पी. एम. पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु मैसर्स जय श्री जोधपुर स्वीट्स, रेवदर-मण्डार रोड़, पंचायत के सामने, रेवदर, जिला- सिरौही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी राजेन्द्र सिंह उपस्थित मिले। मैसर्स जय श्री जोधपुर स्वीट्स, रेवदर-मण्डार रोड़, रेवदर के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर स्टील की ट्रे में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ मीठा मावा लगभग 10 किलोग्राम में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु लेने हेतु इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में गवाह श्री शंकरलाल प्रजापत, भू अभिलेख निरीक्षक, रेवदर के समक्ष प्रतिवादी विक्रेता राजेन्द्र सिंह पुत्र चम्पालाल जी राजपुरोहित को भरकर दी एवं गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में 2 किलोग्राम मीठा मावा .....लगातार


मांत. जिला अधिकारी  
सिरौही-307001.



तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 22/2025	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	<p>को एक साफ, सूखे व खाली भिगोने में कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 800/- (अक्षरे रुपये आठ सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता को अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीद शुदा मीठा मावा को चार साफ, सूखी, खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी में 40-40 बूंदे फार्मलीन की डालकर इन चारों शीशीयों को ढक्कनों से एयरटाईट बन्द कर विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लेबल आदि तैयार कर लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता राजेन्द्रसिंह पुत्र चम्पालाल जी राजपुरोहित व गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा इन लेबलों को चारों नमूना शीशीयों पर नियमानुसार चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने चारों नमूना शीशीयों को कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपडी किया। तत्पश्चात् खाद्य पदार्थ मीठा मावा की चारों नमूना शीशीयों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता राजेन्द्रसिंह पुत्र चम्पालाल जी राजपुरोहित व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये हैं। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 05.11.2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) को दिनांक 29.10.2024 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स जय श्री जोधपुर स्वीट्स, रेवदर-मण्डार रोड़, रेवदर से खाद्य पदार्थ मीठा मावा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मीठा मावा के नमूना संख्या S-2526 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./1709/Act/2024/1736 दिनांक 18.11.2024 में खाद्य</p> <p style="text-align: right;">.....लगातार</p>	



पति. जिला मजिस्ट्रेट  
सिरौही-307001.

<p>तारिख हुक्म</p>	<p><b>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</b> <b>F.S.S.Act Case No. 22/2025</b></p>	<p>नंबर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए</p>
	<p>पदार्थ मीठा मावा का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी विक्रेता राजेन्द्रसिंह पुत्र चम्पालाल जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स जय श्री जोधपुर स्वीट्स, रेवदर-मण्डार रोड़, सिरौही ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ मीठा मावा का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ मीठा मावा के विक्रय हेतु प्रतिवादी विक्रेता राजेन्द्र सिंह पुत्र चम्पालाल जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स जय श्री जोधपुर स्वीट्स, रेवदर-मण्डार रोड़, रेवदर, जिला- सिरौही पर राशि रुपये 35,000/- (अक्षरे रुपये पैंतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी राजेन्द्र सिंह पुत्र चम्पालाल जी राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स जय श्री जोधपुर स्वीट्स, रेवदर-मण्डार रोड़, रेवदर को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 06.05.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>(डॉ. दिनेश राय सापेला)</b>  <b>पति. जिला मजिस्ट्रेट</b>  <b>सिरौही-307001.</b> </p>	

